सत्यमेव जयते

संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A11-32/2018

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड **देहरादून : दिनांक : 24 जनवरी, 2019**

महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 1923 / SDSUV/Affi-2017-18 दिनांक 13.08.2017 व कुलपति जी की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल / कुलाधिपति जी द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–6 की धारा–33 (1) के अधीन निम्न महाविद्यालय को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है।

क्र0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल।	**बी0ए0** (हिन्दी, अंगेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र)	120 सीट प्रति विषय	सत्र 2018–19 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।
		बी0ए0 (मनोविज्ञान)	80 सीट	
		बी0ए0 (संस्कृत, भूगोल एवं गृह विज्ञान)	60 सीट प्रति विषय	
		एम0ए0 (हिन्दी, राजनीतिविज्ञान एवं समाजशास्त्र)	25 सीट प्रत्येक विषय में	सत्र 2018–19 हेतु नवीन सम्बद्धता।

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा सम्बन्धित संस्थान / महाविद्यालय में मानकों के अनुरुप आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी एवं कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध / त्रैमासिक रिपोर्ट मा0 कुलाधपति जी को प्रस्तुत करेंगे।
2. संस्थान / कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
3. संस्थान में मानकानुसार पूर्ण फैकल्टी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, और यदि इसमें कोई त्रुटि / कमी परिलक्षित होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन के साथ–साथ विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी की होगी।
4. पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर विस्तारण हेतु सभी मानक पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात् ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 3948 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A11-32 / 2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव / अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय थत्यूड़, टिहरी गढ़वाल।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।